अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र
Andaman And Nicobar Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 54, पोर्ट ब्लेयर, शुक्रवार, 07 जून, 2024

No. 54, Port Blair, Friday, June 07, 2024

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
उद्योग निदेशालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 07 जून, 2024 ।

अण्डमान तथा निकोबार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) नियमावली, 2024

सं. 49/2024/फा. सं. एम–13/37/2023.– अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड विनियम, 1988 की धारा 38 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में दिनांक 05 दिसम्बर, 2001 की अधिसूचना सं. 219/2001/एफ के द्वारा अधिसूचित अण्डमान तथा निकोबार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड नियमावली, 2001 तथा दिनांक 19.11.2018 को अधिसूचित अण्डमान तथा निकोबार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) नियमावली, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार** :–
 i) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) नियमावली, 2024 कहा जाएगा ।
 ii) इसका विस्तार संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संपूर्ण क्षेत्र तक में होगा।
 iii) यह नियमावली इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगें।
2. **अण्डमान तथा निकोबार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) नियमावली, 2018 के नियम 3 (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा** :–

" (i) मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा अण्डमान तथा निकोबार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 20 में प्रावधानित के अनुसार **प्रशासन द्वारा अनुमोदित** बजट के आधार पर बोर्ड से प्राप्त आवेदन के अनुसार आवर्ती/गैर– आवर्ती व्यय के लिए **अर्धवार्षिक आधार पर** सहायता अनुदान स्वीकृत करेगा । आवेदन के साथ आवर्ती एवं गैर – आवर्ती व्यय का विवरण अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन को प्रस्तुत करना होगा।"

एडमिरल डी. के. जोशी
पी.वी.एस.एम.,ए.वी.एस.एम.,वाई.एस.एम.,एन.एम.,वी.एस.एम.(अ.प्रा.)
उप राज्यपाल (प्रशासक),
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./–
(अभिषेक भुकल)
उद्योग निदेशक एवं सदस्य सचिव,
अं. तथा नि. खा. एवं ग्रा. उ. बोर्ड

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
DIRECTORATE OF INDUSTRIES

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 7th June, 2024.

ANDAMAN AND NICOBAR KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD (AMENDMENT) RULE, 2024

No. 49/2024 /F. No. M-13/37/2023-Genl.—KVIB. – In exercise of powers conferred under Section 38 of the Andaman and Nicobar Islands Khadi and Village Industries Board Regulation, 1988, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands hereby makes the following Amendments in the Andaman and Nicobar Khadi and Village Industries Board Rules, 2001 notified in Andaman and Nicobar Gazette vide Notification No.219/2001/F, dated 5th December, 2001 and Andaman and Nicobar Khadi and Village Industries Board (Amendment) Rules, 2018 notified on 19.11.2018 namely :—

1. **Short Title, commencement and extent :**
 i) These rules may be called as the Andaman and Nicobar Khadi and Village Industries Board (Amendment) Rules, 2024.
 ii) It extends to the whole of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.
 iii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. **The Rule 3 (i) of the Andaman and Nicobar Khadi and Village Industries Board (Amendment) Rules, 2018 shall be substituted as under :—**

"(i)The Chief Secretary, A & N Administration will sanction Grant-in-aid to Andaman and Nicobar Khadi and Village Industries Board on **half yearly basis** on the basis of budget as **approved by the Administration**, as provided under Rule 20 of the Delegation of Financial Powers Rule on the basis of application received from the Board in respect of recurring / non-recurring expenditure. The details of recurring and non-recurring expenditure may be submitted to the A & N Administration alongwith application."

Admiral D. K. Joshi
PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (Retd.)
Lt. Governor (Administrator),
Andaman and Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lieutenant Governor,

Sd./-
(Abhishek Bukal)
Director of Industries &
Member Secretary, ANI KVIB

MGPPB— 54/Gazette/2024— 30 Copies. (P/DTP-2)